राज्यसभा की 8 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव

नई दिल्ली। राज्यसभा की 8 सीटों के लिए 19 जून को द्विवार्षिक चुनाव होंगे। इनमें असम की 2 और तमिलनाडु की 6 सीटें हैं। इन सीटों पर मौजूदा सांसदों का कार्यकाल जून और जुलाई में खत्म हो रहा है। वोटों की गिनती भी 19 जून की शाम को ही होगी।

ईसीआई ने 4 राज्यों के लगभग 350 बीएलओ को प्रशिक्षण दिया

समर सहारा/प्रेम सैनी/सीकर।

नई दिल्ली स्थित भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान (IIIDEM) में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) पर्यवेक्षकों के लिए सातवें बैच का प्रशिक्षण आज प्रारंभ हुआ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित किया, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के BLO, BLO पर्यवेक्षक और निर्वाचक नामांकन अधिकारी शामिल हैं। कुल 353 क्षेत्रीय चुनाव अधिकारियों (उत्तर प्रदेश से 101, उत्तराखंड से 82, राजस्थान से 83 और हिमाचल प्रदेश से 84) ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इसके साथ ही, पिछले दो महीनों में ईसीआई द्वारा नई दिल्ली में 3,350 से अधिक क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अपने उद्घाटन भाषण में, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक हैं ताकि चुनावों का संचालन "जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950", "मतदाता पंजीकरण नियम 1960", "चुनाव संचालन नियम 1961" और समय-समय पर ईसीआई द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि प्रतिभागी इस प्रशिक्षण के माध्यम से अंतिम निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन के बाद की प्रथम और द्वितीय अपील की प्रक्रियाओं से भी अवगत होंगे, जो क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट,जिला कलेक्टर,कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष (धारा 24(क), आरपी अधिनियम 1950) और राज्य,संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष (धारा 24(ख)) दायर की जाती हैं। सीईसी ने BLOs और BLO पर्यवेक्षकों को यह भी प्रोत्साहित किया कि वे मतदाताओं को इन प्रावधानों के बारे में जागरूक करें। यह उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद 6 से 10 जनवरी 2025 तक किसी भी प्रकार की अपील दर्ज नहीं की गई। यह प्रशिक्षण विशेष रूप से प्रतिभागियों की व्यावहारिक समझ को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें मतदाता पंजीकरण, फॉर्मों का संचालन और चुनावी प्रक्रियाओं के क्षेत्रीय क्रियान्वयन जैसे पहलू शामिल हैं। प्रतिभागियों को आईटी उपकरणों पर भी व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट्स की तकनीकी जानकारी और मॉक पोल का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

राजस्थान पत्रिका 26.05.2025

बाजार व अस्पताल जाने वाला के कलक्टर तक पहुचा दी जाएगी।

ईसीआई ने 350 बीएलओ को प्रशिक्षण दिया

चूरू @ पत्रिका. नई दिल्ली स्थित भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) पर्यवेक्षकों के लिए सातवें बैच का प्रशिक्षण सोमवार को प्रारंभ हुआ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित किया, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बीएलओ, बीएलओ पर्यवेक्षक और निर्वाचक नामांकन अधिकारी शामिल हैं। इस प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने भी प्रतिभागिता की। कुल 353 क्षेत्रीय चुनाव अधिकारियों (उत्तर प्रदेश से 101, उत्तराखंड से 82, राजस्थान से 83 और हिमाचल प्रदेश से 84) ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इसके साथ ही, पिछले दो महीनों में ईसीआई की ओर से नई दिल्ली में 3,350 से अधिक क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अपने उद्घाटन भाषण में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक हैं ताकि चुनावों का संचालन "जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950", "मतदाता पंजीकरण नियम 1960", "चुनाव संचालन नियम 1961" और समय-समय पर ईसीआई की ओर से जारी निर्देशों के अनुरूप किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि प्रतिभागी इस प्रशिक्षण के माध्यम से अंतिम निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन के बाद की प्रथम और द्वितीय अपील की प्रक्रियाओं से भी अवगत होंगे, जो क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर/कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष (धारा 24(क), दायर की जाती हैं।

जयपुर टाइम्स 27.05.2025

ईसीआई ने 4 राज्यों के लगभग 350 बीएलओ को प्रशिक्षण दिया

चूरू जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने की प्रतिभागिता

जयपुर टाइम्स

नई दिल्ली(एजेसी.)।। नई दिल्ली स्थित भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में बूथ लेवल अधिकारी पर्यवेक्षकों के लिए सातवें बैच का प्रशिक्षण सोमवार को प्रारंभ हुआ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित किया, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के BLO, BLO पर्यवेक्षक और निर्वाचक नामांकन अधिकारी शामिल हैं। इस प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी

अभिषेक सुराणा ने भी प्रतिभागिता की। कुल 353 क्षेत्रीय चुनाव अधिकारियों (उत्तर प्रदेश से 101, उत्तराखंड से 82, राजस्थान से 83 और हिमाचल प्रदेश से 84) ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इसके साथ ही, पिछले दो महीनों में ईसीआई की ओर से नई दिल्ली में 3,350 से अधिक क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

2. अपने उद्घाटन भाषण में, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक हैं ताकि चुनावों का संचालन "जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950", "मतदाता पंजीकरण नियम 1960", "चुनाव संचालन नियम 1961" और समय-समय पर ईसीआई की ओर से जारी निर्देशों के अनुरूप किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि प्रतिभागी इस प्रशिक्षण के माध्यम से अंतिम निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन के बाद की प्रथम और द्वितीय अपील की प्रक्रियाओं से भी अवगत होंगे, जो क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर/कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष (धारा 24(क), आरपी अधिनियम 1950) और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष (धारा 24(ख)) दायर की जाती हैं। सीईसी ने BLOs और बीएलओ पर्यवेक्षकों को यह भी प्रोत्साहित किया कि वे मतदाताओं को इन प्रावधानों के बारे में जागरूक करें।

3. यह उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद 6 से 10 जनवरी 2025 तक किसी भी प्रकार की अपील दर्ज नहीं की गई।

4. यह प्रशिक्षण विशेष रूप से प्रतिभागियों की व्यावहारिक समझ को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें मतदाता पंजीकरण, फॉर्मों का संचालन और चुनावी प्रक्रियाओं के क्षेत्रीय कियान्वयन जैसे पहलू शामिल हैं। प्रतिभागियों को आईटी उपकरणों पर भी व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट्स की तकनीकी जानकारी और मॉक पोल का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।